

संख्या:- 3570 / 1-10-2013-12(34) / 03टी0सी0-1

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : 19, नवम्बर, 2013

विषय :- वर्ष 2013-14 में ओलावृष्टि के पूरक यथा-अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में ओलावृष्टि के पूरक यथा-अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने हेतु धनावंटन हेतु शासनादेश संख्या-4024 / 1-10-2010-14(63) / 2010 दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 में दिए गए निर्देशानुसार प्रदेश में शीतलहरी के पूरक ओलावृष्टि, अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहर के प्रकोप से एम0एच0ए0 पत्र संख्या 32-3 / 2013- एन0डी0एम0-1 दिनांक 21 जून, 2013 द्वारा जारी भारत सरकार की गाइड लाइन के आईटम नं0- 3 के प्राविधान Provision for Temporary Accommodation, food, clothing medical care etc. for people affected evacuated, sheltered in relief camps के अनुसार गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु रू0 5,00,000/- (रू0 पांच लाख मात्र) प्रति तहसील (कुल 316 तहसील) की दर से रू0 15,80,00,000/- (रू0 पन्द्रह करोड़ अस्सी लाख मात्र) कम्बल आदि के क्रय हेतु एवं रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) प्रति तहसील की दर से रू0 1,58,00,000/- (रू0 एक करोड़ अठ्ठावन लाख मात्र) अलाव जलाने हेतु निम्न विवरण के अनुसार संबंधित जिलाधिकारियों के निवर्तन पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय-सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

25

मण्डल का नाम	जनपद का नाम	तहसीलों की संख्या	आवंटित धनराशि (रु० में)
1. सहारनपुर	1. सहारनपुर	5	2750000
	2. मुजफ्फरनगर	4	2200000
	3. शामली	2	1100000
2. मेरठ	4. मेरठ	3	1650000
	5. हापुड़	3	1650000
	6. गाजियाबाद	2	1100000
	7. बुलन्दशहर	7	3850000
	8. गौमतबुद्ध नगर	3	1650000
	9. बागपत	3	1650000
3. आगरा	10. आगरा	6	3300000
	11. मथुरा	4	2200000
	12. फिरोजाबाद	4	2200000
	13. मैनपुरी	4	2200000
4. अलीगढ़	14. अलीगढ़	5	2750000
	15. एटा	3	1650000
	16. कासगंज	3	1650000
	17. हाथरस	4	2200000
5. बरेली	18. बरेली	6	3300000
	19. बदायूँ	5	2750000
	20. शाहजहाँपुर	4	2200000
	21. पीलीभीत	3	1650000
6. मुरादाबाद	22. मुरादाबाद	4	2200000
	23. रामपुर	6	3300000
	24. बिजनौर	5	2750000
	25. अमरोहा	3	1650000
	26. संभल	3	1650000
7. कानपुर	27. कानपुर नगर	3	1650000
	28. कानपुर देहात	5	2750000
	29. इटावा	5	2750000
	30. फर्रुखाबाद	3	1650000
	31. कन्नौज	3	1650000
	32. औरैया	2	1100000
8. इलाहाबाद	33. इलाहाबाद	8	4400000
	34. फतेहपुर	3	1650000
	35. प्रतापगढ़	5	2750000
	36. कौशाम्बी	3	1650000
9. झांसी	37. झांसी	5	2750000

	38. ललितपुर	3	1650000
	39. जालौन	5	2750000
10. चित्रकूटधाम	40. हमीरपुर	4	2200000
	41. महोबा	3	1650000
	42. बांदा	4	2200000
	43. चित्रकूट	3	1650000
11. वाराणसी	44. वाराणसी	2	1100000
	45. जौनपुर	6	3300000
	46. गाजीपुर	5	2750000
	47. चन्दौली	3	1650000
12. मिर्जापुर	48. मिर्जापुर	4	2200000
	49. सोनभद्र	3	1650000
	50. संतरविदास नगर	3	1650000
13. आजमगढ़	51. आजमगढ़	7	3850000
	52. मऊ	4	2200000
	53. बलिया	6	3300000
14. गोरखपुर	54. गोरखपुर	7	3850000
	55. महाराजगंज	4	2200000
	56. देवरिया	5	2750000
	57. कुशीनगर	4	2200000
15. बस्ती	58. बस्ती	4	2200000
	59. सिद्धार्थनगर	5	2750000
	60. संतकबीर नगर	3	1650000
16. लखनऊ	61. लखनऊ	4	2200000
	62. उन्नाव	5	2750000
	63. रायबरेली	5	2750000
	64. सीतापुर	6	3300000
	65. हरदोई	5	2750000
	66. खीरी	6	3300000
	67. अमेठी	5	2750000
17. देवीपाटन	68. गोण्डा	4	2200000
	69. बहराइच	4	2200000
	70. बलरामपुर	3	1650000
	71. श्रावस्ती	3	1650000
18. फैजाबाद	72. फैजाबाद	5	2750000
	73. सुल्तानपुर	4	2200000
	74. बाराबंकी	6	3300000
	75. अम्बेडकरनगर	5	2750000
योग		316	173800000

- (1) उक्त स्वीकृत धनराशि से जनपद में प्रति तहसील निर्बल, निराश्रित, आश्रयहीन एवं असहाय व्यक्तियों को शीतलहरी से निजात दिलाने के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्रों को प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर सी0आर0एफ0 गाइड लाइन के अनुरूप यथोचित कार्यवाही की जाए इस प्रयोजन हेतु स्थानीय नगर निकायों का भी सहयोग प्राप्त किया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु भोजन, वस्त्र, आश्रय एवं चिकित्सा सुविधा के अभाव में न हो।
- (2) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 1419/18-2-2013-12(एस0पी0)/2010 दिनांक 01 नवम्बर, 2013 जो कि सरकारी विभागों एवं शासकीय नियन्त्रणधीन उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों/स्वायत्तशासी संस्थाओं (जिन्हें आगे केता एजेन्सी कहा गया है) द्वारा उ0प्र0 राजय हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थाओं, श्री गॉंधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) के माध्यम से लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की क्रय अनिवार्यता के संबंध में है, में दिये गये निर्देशानुसार कम्बल आदि का क्रय किया जायेगा।
- (3) क्रय किये जाने वाले कम्बलो की पूर्व निर्धारित दर रू0 500 से अधिक न हो तथा मानक लम्बाई कम से कम 235 से0मी0, चौड़ाई कम से कम 140 से0मी0 तथा वजन कम से कम 2 किलो 200 ग्राम होना चाहिए। इन कम्बलो में कम से कम 70 प्रतिशत ऊन होना चाहिए तथा पुराने यार्न का प्रयोग नहीं होना चाहिए।
- (4) आपूर्तित संस्था को इस आशय का टैग लगाना होगा जिस पर संबंधित संस्था का नाम कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण होगा। यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है जो बिक्री योग्य नहीं है।
- (5) निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को अत्यधिक ठंड व शीतलहरी से बचाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा बिना समय गवाये जरूरतमन्द व्यक्तियों को समय से निःशुल्क कम्बल आदि की सुविधा उपलब्ध कराना जाना सुनिश्चित कराया जाए ताकि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी की पूरी अवधि हेतु यह सुविधा उन्हें प्राप्त हो सके।
- (6) निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के चिन्हीकरण के लिए वृद्धावस्था पेंशन/विधवा पेंशन/अन्त्योदय कार्ड की प्रतीक्षा सूची, भूमिहीन, बीमार व अत्याधिक वृद्धजनों को प्राथमिकता दी जाय। विधवा पेंशन की प्रतीक्षा सूची में से अल्पसंख्यक बच्चों व अत्यधिक वृद्ध विधवाओं का तथा नगरीय क्षेत्र में मलिन बस्तियों व

ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े मजरो में निवास करने वाले विशेषकर कमजोर वर्ग के वृद्ध व बीमार पुरुष/महिला को प्राथमिकता दी जाय। उपरोक्त के क्रम में निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को दिनांक 01 दिसम्बर, 2013 तक चिन्हित कर लिया जाय ताकि दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 तक कय किये गए कम्बलों आदि को कैम्प लगाकर वितरित करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि लगभग प्रत्येक ग्रामों में निर्धनतम व्यक्तियों को कम्बल अवश्य वितरित हो जाए। उपरोक्त के क्रम में निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को चिन्हीकरण एक सप्ताह में कर लिया जाय तथा व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाय।

- (7) लाभार्थियों का विवरण जनपद स्तर पर रखा जाय तथा उसे जनपद की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाय।
- (8) कय किये गये कम्बलो आदि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया जाय।
- (9) अलाव जलाने पर व्यय हुई धनराशि एवं अन्य मदों पर व्यय हुई धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र अलाव के जलाने के स्थल, दिन की संख्या, लकड़ी/कम्बल आदि के कय की रसीद, कुल व्यय सहित पूर्ण सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाय।
- (10) उक्त धनराशि का व्यय शा०प०सं०-78/पी०एस०आर०/2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-NDM-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश सं० 2785/1-10-2011-12(73)/2008 दिनांक 14.10.2011 के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दिनांक 05 जुलाई, 2013 जिसके साथ भारत सरकार का पत्र दिनांक 21 जून, 2013 संलग्न किया गया है में अर्ह मानक मदों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (11) आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा०-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू०ओ०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04-03-2013 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2014 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

- (12) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।
2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।
3. कय किये गये कम्बल की गुणवत्ता पृष्ठ-4 के बिन्दु संख्या-2,3 एवं 4 में निर्धारित मानक के अनुसार सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

भवेदीय
(एल0 वेंकटेश्वरलू)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या:- 3570(1)/1-10-2013-12(34)/03टी0सी0-1 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद
- 2- समस्त मण्डलायुक्त।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
- 6- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5।
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11।
- 9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
19/11/17
(अनिल कुमार बाजपेई)
उपसचिव।